तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार हुक्म की तामील में जारी
03.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षीगण वकील जवाब पेश करने का अवसर चाहते हैं, जो दिया जाकर पत्रावली बाद्गा 20.2.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
20.02.23	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसोसियेशन द्वारा रेफरेंस रखा गया है अतः इल्तवा होकर पत्रावली बाद्गा 31.3.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
31.03.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एंव विप्रार्थी सं. 1 से 13 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि विभाजित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। चूंकि विप्रार्थी संख्या 1 से 13 प्रार्थी के साथ सह खातेदार हैं और वाद के निस्तारण से ही प्रार्थी को अभीष्ट अनुतोष प्राप्त होगा, तथापि सह खातेदार के विरुद्ध स्थगन के जरिये उनके हकों को [illegible] किया जाना अदालत उचित नहीं [illegible]। लिहाजा प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक क[illegible] (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested